उपायुक्त कार्यालय
03 JAN 2012
गुमला

DRDA
3/01/2012
234
03.01.12

दिनांक 23.09.2011 को श्री कड़िया मुण्डा, माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष-सह-सांसद खूंटी संसदीय क्षेत्र-सह-अध्यक्ष जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति, गुमला की अध्यक्षता में आयोजित जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही :-

उपस्थिति :

उपस्थिति पंजी में संधारित है ।

कार्यवाही

1. सर्वप्रथम माननीय अध्यक्ष महोदय के निदेशानुसार उपस्थित सदस्यों एवं पदाधिकारियों का परिचय प्राप्त किया गया। तत्पश्चात माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से बैठक की कार्रवाई प्रारंभ की गई। निदेशक , राष्ट्रीय नियोजन कार्यक्रम, गुमला के द्वारा विगत दिनांक 4.4.2011 को सम्पन्न जिला स्तरीय निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक की कार्यवाही का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन पढ़कर सुनाया गया एवं माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा यथा आवश्यक निर्देश दिये गये जो आगे की कंडिकाओं में उल्लिखित हैं।

2 **पेयजल** :- पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल की योजनाओं की समीक्षा की गई। पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल के सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि पेयजल आपूर्ति के लिये जिले के सभी पंचायतों को दो दो लाख रूपया उपलब्ध कराया जा चुका है । बताया गया कि उस राशि से मार्गदर्शिका के अनुसार कार्य कराया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय द्वारा बताया गया कि इस कार्य में अनियमितता की शिकायत आ रही है इसके लिए संबंधित मुखिया के अतिरिक्त विभाग को भी दोषी माना जायेगा। साथ ही निदेश दिया गया कि **Geological survey** के आधार पर ही चापाकल की खुदाई होनी चाहिए । इसकी देखरेख विभाग को ईमानदारी से करना होगा केवल मुखिया के जिम्मे कार्य छोड़ देने मात्र से विभाग की जिम्मेवारी खत्म नहीं होगी इससे तो मुश्किलें और बढ़ेगी क्योंकि पंचायत के पास प्रशिक्षित मिस्त्री नहीं होते हैं। सहायक अभियंता द्वारा बताया गया कि इसके लिए कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षण एवं दिशानिर्देश दिया गया है एवं भविष्य में भी दिया जायेगा।

(i) श्रीमति प्रतिमा देवी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पालकोट थाना के सामने वाली पेयजल आपूर्ति की योजना दो साल पूर्व बनकर तैयार है किन्तु अबतक चालू नही किया गया है। बताया गया कि इस योजना के लिये 70 लाख रूपये का प्राक्कलन तैयार कर स्वीकृति के लिये विभाग को भेजा गया है। अबतक स्वीकृति नहीं मिली है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि योजना की स्वीकृति के लिए विभाग से सम्पर्क कर आदेश प्राप्त करना सुनिश्चित किया जाय।

(ii) माननीय विधानसभा सदस्य सह समाज कल्याण एवं पर्यटन मंत्री श्रीमति विमला प्रधान द्वारा पालकोट के बनुवा के पास डीपबोरिंग का कार्य कोनवीर वाले डीपबोरिंग के तर्ज पर फ्लैश करके पुनः कार्य आरंभ किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः- कार्यपालक अभियंता, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, गुमला)

3.(i)समाज कल्याण :– समाज कल्याण अन्तर्गत संचालित योजनाओं की समीक्षा की गई। समीक्षा के दौरान बताया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्रों पर संचालित खिचड़ी कार्यक्रम अन्तर्गत तैयार की गई पंजी एवं वास्तविक खर्च में काफी अंतर पाया जाता है। इसके संबंध में जिला समाज कल्याण पदाधिकारी गुमला द्वारा बताया गया कि इस तरह की बात नहीं है। केन्द्र पर संधारित पंजी एवं उपयोग की गई सामग्री में कोई अंतर नहीं किया जाता है।

इस योजना के संबंध मे माननीय विभागीय मंत्री झारखण्ड सरकार द्वारा विस्तृत चर्चा की गई एवं बताया गया कि इस कार्य में संबंधित मुखिया एवं वार्ड कमीश्नर को शामिल किया जाय। साथ ही निदेश दिया गया कि हर हाल में उनकी उपस्थिति में ही खिचड़ी बनाई जाय। इसके लिए कार्यशाला आयोजन के लिये जिला समाज कल्याण पदा0 को निदेश दिया गया।

(ii)आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण :– इसके संबंध मे वास्तविक आंगनबाडी केन्द्र भवन निर्माण कार्य की समीक्षा की गई। बताया गया कि कुछ आंगनबाडी केन्द्र भवन बी0आर0जी0एफ0 मद एवं अन्य शीर्ष से भी निर्माण किया जा रहा है। केन्द्र के समीप चापाकल लगाने की योजना भी है जिसे बरसात के बाद पूरा कर लिया जायेगा।

माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं पर्यटन विभाग द्वारा निदेश दिया गया कि आंगनबाड़ी केन्द्र भवन का निर्माण किसी भी विभाग/एजेंसी द्वारा करायी जाय किन्तु इसकी सूचना जिला समाज कल्याण पदाधिकारी, गुमला को अवश्य दी जाय। जिला समाज कल्याण पदा0 को निदेश दिया गया कि अन्य विभाग द्वारा निर्मित आंगनबाड़ी भवन की सूचना प्राप्त कर रखें।

(अनुपालनः– जिला समाज कल्याण पदा0, गुमला)

4. **चिकित्साः–**दिनांक 4.4.2011 की बैठक में विद्यालयों मे एक्सपाइरी आई0एफ0ए0 गोलियाँ वितरण के अनुपालन पर चर्चा की गई। विमर्श के दौरान बताया गया कि डुमरी में भी वितरित दवा एक्सपाइर थी। अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि एक्सपाइरी दवाएँ सील कर अलग रखी जाय एवं सही दवाएँ समय पर लाभुकों को देने की व्यवस्था की जाय।

दिनांक 04.04.2011 को सम्पन्न बैठक के प्रस्ताव सं0 8 पर एक्सपाइरी दवा वितरण मे संलिप्त कर्मी के लापरवाही की जाच कर उनकी सेवापुस्त में कडी चेतावनी इन्दराज के लिये निदेश दिया गया था। बताया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, सदर प्रखण्ड को इस आशय की प्रविष्टि सेवा पुस्त में करने हेतु निदेश दिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी गुमला से इसका अनुपालन प्रतिवेदन प्राप्त किया जाय।

(अनुपालनः–सिविल सर्जन, गुमला)

5.राष्ट्रीय उच्च पथ :– निर्धारित निगरानी एवं अनुश्रवण समिति की बैठक में संबंधित पदाधिकारी अनुपस्थित पाये गए। जिसके कारण समीक्षा नहीं हो सकी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा उनके वेतन भुगतान स्थगन का निदेश दिया गया।

6.जल संसाधन :– इस विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता जलपथ प्रमंडल द्वारा बताया गया कि शंख जलाशय का निर्माण पूरा हो गया है किन्तु मुख्य नहर के जल वितरण प्रणाली के निर्माण हेतु भू–अर्जन की प्रक्रिया चल रही है । जिसे रब्बी फसल तक पूरी कर ली जाएगी। इसके पूरा होने पर रब्बी फसल को अधिक लाभ पहुँचायी जा सकेगी।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता जल पथ प्रमंडल)

7. जिला अभियंता, जिला परिषद :– जिला अभियंता, जिला परिषद द्वारा बताया गया कि विभिन्न प्रखण्डों मे 22 विद्यालय भवन निर्माण कराया जा रहा है । 10 विद्यालय भवन का निर्माण पूरा कर लिया गया है । सात में फिनिसिंग कार्य चल रहा है । शेष योजनाओं में कार्य प्रगति पर हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 22 विद्यालय भवनो के निर्माण के लिये एक साथ स्वीकृति प्राप्त होने के बावजूद आधे पर ही कार्य पूर्ण होने पर आपत्ति जताई गई। जिला अभियंता द्वारा बताया गया कि ये बड़ी बड़ी योजनाएँ है जिसे विभागीय कराया जा रहा है । इसके लिए राशि जिला परिषद के **PL** खाता में निदेशानुसार रखा गया है । राशि की निकासी किये गये कार्य के विपत्र के विरुद्ध की जाती है । इस राशि की निकासी के लिये राज्य सरकार से निदेश प्राप्त होने पर ही कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि अधूरे कार्य को 31 जनवरी 2012 तक निश्चित रूप से पूर्ण किया जाय।

(अनुपालनः–जिला अभियंता, जिला परिषद)

8.मुख्यमंत्री सेतु योजनाः– इसके अंतर्गत निर्माणाधीन योजनाओं की समीक्षा की गई । मुख्यमंत्री सेतु योजनान्तर्गत निर्मित अधिकतर पुल के बह जाने पर खेद प्रकट किया गया। कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण विकास विशेष प्रमंडल, गुमला से इस संबध मे पूछे जाने पर बताया गया कि बहे हुए पुल के चार संवेदक एवं 20 अभियंताओं पर प्राथमिकी दर्ज किया गया है। बहे हुए पुल के स्थान पर आवागमन की कठिनाई को देखते हुए दूसरे स्थान पर पुल निर्माण पर चर्चा की गई। निदेश दिया गया कि सभी औपचारिकता को पूरी करते हुए दूसरे स्थान पर पुल निर्माण के लिये सरकार को प्रस्ताव भेजा जाय।

समीक्षोपरान्त निर्णय लिया गया कि अभियंता एवं संवेदक के साथ **Consultant**/डिजाईनर पर भी प्राथमिकी दर्ज होना चाहिए। माननीय विधायक श्री कमलेश उरॉव द्वारा बताया गया कि पुल निर्माण में पर्यवेक्षण की कमी से गुणवत्ता युक्त कार्य नहीं हुआ। जिससे पुल बह गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि दोषी अभियंताओं, डिजाईनर एवं संवेदक पर गबन का मामला दायर किया जाय। उपायुक्त, गुमला द्वारा निदेश दिया गया कि इस संबंध में पब्लिक प्रोसिक्यूटर से सम्पर्क किया जाय।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता,ग्रा0वि0विशेष प्रमंडल)

9. पथ प्रमंडलः– मांझा टोली से महुआडांड पथ निर्माण की समीक्षा की गई। कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया कि निर्माण कार्य के संवेदकों का यंत्र–संयंत्र जलाये

जाने के बाद कार्य प्रभावित हुआ है । बताया गया कि सामग्री उपलब्ध करके कार्य प्रारंभ किया जा रहा है ।

निदेश दिया गया कि रायडीह थाना के निकट प्रयोगशाला बनाया जाय एवं कार्य को अविलम्ब पूरा कराया जाय।

(अनुपालनः– कार्यपालक अभियंता,पथ प्रमंडल)

10. झालको :– अवर क्षेत्रीय प्रबंधक, झालको द्वारा बताया गया कि 80 सिंचाई कूप निर्माण कार्य स्वीकृत कर कार्यान्वयन किया जा रहा है । उसमें से 20 पूर्ण हो गया है 18 पर आंशिक कार्य बाकी है । अधूरे कूप को मार्च 2012 तक पूर्ण कर लिया जायेगा।

(अनुपालनः–झालको)

11 (i) शिक्षाः– जिला शिक्षा अधीक्षक, गुमला द्वारा बताया गया कि मध्याह्न भोजन योजना हेतु कुछ विद्यालयों मे शेड नही बना है , बताया गया कि 9 नये विद्यालय मे भंडार नही रहने के कारण बर्त्तन एवं अन्य उपयोग की सामग्रियों रखने में कठिनाई होती है । पालकोट के लौंदकेरा नये विद्यालय में किचन शेड नही है। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि उक्त स्थान पर निर्माण की कार्रवाई की जाय। साथ ही उत्क्रमित विद्यालय के कक्षा 6, 7 एवं 8 के छात्रों के लिये मध्याह्न भोजन चलाने का निदेश दिया गया। इस योजना से 139 विद्यालय वंचित रह गये हैं जिसमें अविलब लागू करने का निदेश दिया गया।

(ii) विमर्श के दौरान विद्यालयों मे अधिक शिक्षकों की कमी पर माननीय अध्यक्ष द्वारा चिंता जताई गई। इस पर जिला शिक्षा अधीक्षक द्वारा शिक्षक नियुक्ति की अर्हता संबंधी बिन्दुओं पर ध्यान दिलाते हुए बताया गया कि शिक्षकों के स्थानीय होने के साथ ही अंग्रेजी एवं विज्ञान की अनिवार्यता के कारण सिर्फ 40 प्रतिशत शिक्षक की नियुक्ति हो सकी है। उनके द्वारा अनुरोध किया गया कि अंग्रेजी एवं विज्ञान की अनिवार्यता को खत्म किया जाय। निदेश दिया गया कि इस संबंध में राज्य मुख्यालय से निदेश प्राप्त किया जाय।

(अनुपालनः–जिला शिक्षा अधीक्षक)

12.जिला ग्रामीण विकास अभिकरण :–(i)इन्दिरा आवास :– इस योजना की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई । निदेश दिया गया कि सरकार से राशि प्राप्त होती है उसका व्यय नियमानुसार समय पर किया जाय एवं अधूरे आवास को अविलम्ब पूर्ण कराया जाय।

(ii) **मनरेगा** :– योजनाओं की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समीक्षा की गई । निदेश दिया गया कि बरसात के बाद कूपों की सूची तैयार कर क्षतिग्रस्त कूपों को पूर्ण कराया जाय । यह भी निदेश दिया गया कि कूप निर्माण के लाभुक आर्थिक रूप से कमजोर होते है । अधूरे कार्य को पूर्ण करने के लिये नियमानुसार राशि की मदद दी जानी चाहिए । राशि

उपलब्धता के संबंध मे बताया गया कि माह जून से राशि की कमी थी किन्तु अब राशि उपलब्ध है।

माननीय विधायक, श्री कमलेश उरॉव द्वारा बताया गया कि सिचाई कूप की भांति ही कुछ इन्दिरा आवास भी वर्षा के कारण क्षतिग्रस्त हुए हैं। निदेश दिया गया कि धँसे हुए इन्दिरा आवासों को भी यथासंभव समय पर पूर्ण कराया जाय।

(अनुपालनः–जिला ग्रामीण विकास अभिकरण)

13-वन विभाग :–(i) वन प्रमण्डल पदाधिकारी, गुमला बैठक मे अनुपस्थित पाये गये। वन प्रमण्डल कार्यालय से उपस्थित प्रतिनिधि द्वारा **IWMP** से संबंधित कार्यान्वित योजनाओं के सबंध में रिर्पोट प्रस्तुत नहीं किया जा सका। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि वन प्रमण्डल पदा0, गुमला से अनुपस्थित रहने के लिये स्पष्टीकरण मांगा जाय।
(ii) वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण के लिये गड्ढा खोदा गया है । किन्तु श्रमिकों को मजदूरी भुगतान नहीं किया गया है । इस संबंध में यह बात सामने आई कि नये रेंज ऑफिसर को मस्टर रॉल प्राप्त नहीं हुआ है, क्योंकि इन्हें पूर्व रेंज ऑफिसर द्वारा प्रभार नहीं सौंपा गया है । निदेश दिया गया कि इसके संबंध में **DFO** वन्यप्राणी प्रमण्डल, रॉंची को लिखा जाय कि व्यवस्था कर श्रमिकों का मजदूरी भुगतान करायें।

(अनुपालनः–वन प्रमंडल पदा0)

14-NRLM:- इसके संबंध में अपरसमाहर्त्ता गुमला द्वारा बताया गया कि गुमला जिला वर्तमान में इस कार्य के लिए चयनित नहीं है।

15-सामाजिक सुरक्षा :– सहायक निदेशक, सामाजिक सुरक्षा द्वारा बताया गया कि पेंशन अगस्त 2011 तक का भुगतान हो गया है । पेंशन की राशि केन्द्रांश 500 /– एवं राज्यांश 200/– यानि कुल 700/– रूपया प्रतिमाह है । रायडीह प्रखण्ड के केमटे, कासीर एवं नवागढ़ में पेंशन की राशि मिलने में विलम्ब की सूचना मिली है । माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि पेंशन की राशि 29 सितम्बर 2011 के पूर्व कोषागार से निकासी कर पेंशनधारियों को भुगतान सुनिश्चिम किया जाय। पेंशन भुगतान नही किये जाने की शिकायत डुमरी कॉ –ओपरेटिव बैंक,गुमला से आई है। इस पर माननीय विधायक द्वारा अफसोस जताया गया और निदेश दिया गया कि सभी पेंशनधारियों को समय पर पेंशन का भुगतान किया जाय।

(अनुपालनः–सहायक निदेशक , समाजिक सुरक्षा)

16.खाद आपूर्ति :– माननीय विधायक, श्री कमलेश उरॉव द्वारा बताया गया कि रायडीह के लैम्पस से 120 बोरा खाद आपूर्ति हेतु लाया जा रहा था। जिसमें से गंतव्य स्थान तक42 बोरा ही खाद पहुँचा। इस संबंध मे अध्यक्ष महोदय द्वारा निदेश दिया गया कि जिला सहकारिता पदा0 से जॉच कराकर अद्यतन स्थिति कर प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाय।

(अनुपालनः–जिला सहकारिता पदा0)

17.देशी औषधालय :–_माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा देशी औषधालय की व्यवस्था यथा पेयजल की व्यवस्था, विद्युतिकरण, शौचालय की व्यवस्था इत्यादि की पूछताछ की गई। प्रबंधन द्वारा सिर्फ चिकित्सा भवन निर्माण की बात बतायी गई जहाँ उपरोक्त व्यवस्था अभी तक नहीं होने की बात स्वीकारी गई। इसके अलावे चाहरदीवारी की व्यवस्था पर भी विमर्श किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा अनुमंडल पदा0, सदर गुमला, कार्यपालक अभियंता, भवन प्रमण्डल एवं जिला देशी चिकित्सा पदा0, गुमला से मिलकर जल्द से जल्द निपटाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालनः– अनु0 पदा0/कार्यपालक अभियंता भवन एवं देशी चिकित्सा पदा0)

18.बसिया– कोनबीर पाईप लाईन :– इस पाईप लाईन को अभी तक पूरा नहीं किये जाने के संबंध में माननीय मंत्री समाज कल्याण एवं पर्यटन विभाग द्वारा जानकारी की मांग की गई एवं कारण जानने की इच्छा जाहिर की । बताया गया कि **PWD** द्वारा पाईप लाईन लगाने पर विरोध किया जा रहा है। निदेश दिया गया कि दोनों विभाग संयुक्त रूप से जांच कर पाईप लाईन लगानें हेतु एक सप्ताह के अंदर **NOC** निर्गत करें ।

(अनुपालनः–कार्यपालक अभियंता PHED/PWD)

19.राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतिकरण योजना :– श्रीमति प्रतिमा देवी, सदस्य द्वारा बताया गया कि पालकोट ग्राम में बिजली का पोल गिरा दिया गया है। तार लाया गया है परन्तु बिजली आपूर्ति नहीं हो रही है। पालकोट प्रखण्ड के अलकेरा, कोलेंग, बिलिंगबीरा में भी यही स्थिति है। प्रमुख पंचायत समिति बसिया द्वारा बताया गया कि प्रखण्ड के उत्तरी छोर में यही स्थिति है । ओकवा, ममरला आर्या एवं कुट्टीपाट में भी यही शिकायत है । बताया गया कि सिलम से सुगदा तक टेंडर आमंत्रित किया गया है किन्तु कोई टेंडर प्राप्त नहीं हुआ है।

बताया गया कि इस योजना के तहत 905 गाँवों को विद्युतिकरण किया जाना है । ट्रॉसफरमर जलने के कारण कार्य बाधित है। बताया गया कि समदरी गाँव में तीन साल से ट्रॉसफरमर जला हुआ है। उस गाँव के 120 परिवारों को बिजली उपलब्ध कराया जाना है। इसी प्रकार महुआटोली में भी डेढ़ साल से ट्रॉसफरमर जलने का मामला प्रकाश मे आया है। निदेश दिया गया कि उपरोक्त बिन्दुओं का स्थल जॉच कर अविलम्ब रिर्पोट दिया जाय ताकि तुरत ठीक किया जा सकें।

(अनुपालनः–अधीक्षण अभियंता,राजीव गांधी विद्युतिकरण)

21.प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनाः– इसके अन्तर्गत फेजवार योजनाओं की समीक्षा की गई। निदेश दिया गया कि लंबित योजनाओं को अविलंब पूर्ण किया जाय एवं गुणवत्ता पर भी ध्यान दिया जाय। इसके अलावे श्रीमति बिमला प्रधान, मंत्री समाज कल्याण महिला एवं बाल विकास विभाग, झारखण्ड द्वारा पालकोट से कोनबीर भाया नाथपुर सड़क की जर्जर अवस्था के संबंध मे बताया गया। जिस पर संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा बताया गया

कि इस योजना के लिए विभाग को DPR भेजा जा चुका है। निदेश दिया गया कि विभाग से सम्पर्क स्थापित कर उस पर त्वरित कार्रवाई की जाय।

(अनुपालनः—कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमण्डल)

समीक्षा के उपरान्त माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा सभी विभाग के पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि किये गए कार्यों के लिए अभिलेखों का संधारण अवश्य करें। बैठक की कार्यवाही प्राप्त होने के एक पक्ष के अन्दर अनुपालन प्रतिवेदन जिला कार्यालय को निश्चित रूप से समर्पित करें।

(अनुपालनः— सभी विभाग)

अन्त में अनुमडल पदाधिकारी, गुमला द्वारा बैठक में भाग लेने हेतु श्री कड़िया मुण्डा माननीय लोकसभा उपाध्यक्ष, माननीय मंत्री, श्रीमति विमला प्रधान, माननीय विधायक श्री कमलेश उराँव को विशेष रूप से धन्यवाद देते हुए जन प्रतिनिधियों, सदस्यों एवं पदाधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापन किया गया तथा बैठक की कार्रवाई समाप्त की गई।

सदस्य सचिव
जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
सह उपायुक्त गुमला।

अध्यक्ष
जिला निगरानी एवं अनुश्रवण समिति
गुमला।

AFTER COVER IS OPENED OR UNIT OVERHEATS THIS PAGE IS PRINTED TO ALIGN PAPER, UNLESS PAPER JAMS. >>

(i) **बेड़ों से पहले निर्माणाधीन पुल** :– बैठक में बेड़ो एव नागफेनी पुल निर्माण मे प्रगति की समीक्षा की गई । पाया गया कि दोनों पुल निर्माण की अवधि बीत जाने पर भी पूर्ण नहीं हो पाया है । इस पर माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा क्षोभ व्यक्त किया गया। साथ ही कार्य अवधि विस्तार पर भी आपत्ति उठाई गयी।

गत बैठक का सदर्भ लेते हुए बताया गया कि नागफेनी पुल निर्माण जून 2011 तक पूर्ण कर लिये जाने का आश्वासन कार्यपालक अभियंता द्वारा दिया गया था किंतु निर्माण कार्य अबतक अधूरा है । यह स्थिति समय पर अभियंताओं द्वारा पर्यवेक्षण नहीं किये जाने के कारण हुआ। पुल निर्माण मे अनुश्रवण नहीं किये जाने के लिये खेद प्रकट किया गया ।